

जगदीश
20-4-2025

2024/797

फर्द अहकाम

(नियम 15)

पालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़



जगदीश प्रसाद


बनाम

शिशपाल आदि

मुकदमा किस्म अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

प्रकरण संख्या 208 वर्ष 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
18.12.2024	<p>प्रार्थी जगदीश प्रसाद की तरफ से वकील श्री रामनिवास गोदारा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट पेश किया। रीडर की जांच रिपोर्ट के बाद प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र एवं सलग्न दस्तावेजों के अवलोकन के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि चक 3 केडीएम के प.नं. 10/60(71) कि.नं. 13/1, 13/2, 14 ता 16, 17/1, 17/2, 18, 22, 23, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2 की 2.530 है। भूमि की अप्रार्थीगण रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें व रहन बैय करने से निषेध रहें। यह निषेधाज्ञा रास्ता, खाला, बैंक ऋण (रोड़ा एक्ट) एवं अन्य किसी राजकीय प्रयोजनार्थ पर लागू नहीं होगी। वकील प्रार्थी, अप्रार्थीगण को साधारण डाक के साथ-साथ नोटिस रजिस्ट्रड डाक से तल्बी करवावें व रजिस्ट्रड डाक की रसीदें न्यायालय में 3 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे। पत्रावली आईन्दा तारीख 20.01.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर </p> <p>वकील प्रसाद के पत्र/पु माह: 20.1.25 प्रस्ताव है। पत्रावली 20.1.25 गस्त 20 दिनांक 20.1.25 पेश के - 20.1.25</p>	
20.5.24	<p>वकील प्रसाद के पत्र/पु माह: 20.5.24 प्रस्ताव है। पत्रावली 20.5.24 गस्त 20 दिनांक 20.5.24 पेश के - 20.5.24</p>	
20.4.25	<p>वकील प्रसाद ने प्रार्थना-पत्र मित्राल पेशी पेश करते पट प्रसादकी ओर से प्रार्थी में लिया गया। वकील प्रसाद ने निषेधाज्ञा के प्रार्थना-पत्र आगे नहीं चलाना चाहे है। जो जूदा स्थिति में जारी ज रहना चाहे है। प्रार्थना-पत्र में जूदा स्थिति के जारी जिया जा रहा है। प्रसादकी गजट के कम की जाकर 315 तक की वकील जाहा हाखिल कर रहे है।</p>	<p>जगदीश 4 नं </p>


सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर